

**न्यायालय—श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक—712 / 2013
संस्थित दिनांक—08.08.2013
फाईलिंग क.234503002192013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

डिलेश्वर उर्फ डिलेश कुमार पिता कृष्ण शंकर वाकड़े, उम्र—32 वर्ष,
निवासी—ग्राम डोरली, थाना लांजी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—27 / 07 / 2016 को घोषित)

- 1— आरोपी डिलेश्वर उर्फ डिलेश के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) बी सहपठित धारा—4 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—30.07.2013 को करीब 5:25 बजे ग्राम न्यू बिरसा बस स्टेण्ड स्थित साईं रेस्टोरेन्ट अंतर्गत थाना बिरसा के पास जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक—6312—6552—II—बी(I) दिनांकित—22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का धारदार चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा में पदस्थ प्रधान आरक्षक मिश्रीलाल बिसेन को दिनांक—30.07.2013 को मुखबिर द्वारा मोबाईल पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 28—30 वर्ष का आदमी सामान्य कद—काठी का संदिग्ध रूप से न्यू बस स्टेण्ड परिसर बिरसा में करीब 4—5 घंटे पहले से देखा जा रहा है, जो साईं रेस्टोरेन्ट के पास खड़ा है। उक्त सूचना पर हमराह प्रधान आरक्षक के साथ बिरसा बस स्टेण्ड पहुंचा और देखा कि साईं रेस्टोरेन्ट के पास बताए हुए हुलिए का व्यक्ति संदेहास्पद रूप से खड़ा था। वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। भागने वाले व्यक्ति को हमराह स्टॉफ व राहगीर गवाहों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उस व्यक्ति ने पूछताछ करने पर अपना नाम डिलेश्वर उर्फ डिलेश कुमार पिता कृष्णशंकर वाकड़े, जाति माना, उम्र—28 वर्ष, निवासी ग्राम डोरली, थाना लांजी का होना बताया था। आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी कमर में बाईं तरफ एक धारदार चाकू जिस पर काले रंग की प्लास्टिक का मूठ(हत्था) लगा हुआ मिला, जिसकी अनुज्ञापत्र पूछे जाने पर उसने कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। आरोपी द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने एवं उसका लायसेंस नहीं होने के कारण उक्त कृत्य धारा—25 (बी) आर्म्स एक्ट का पाए जाने से साक्षियों के समक्ष आरोपी से एक चाकू जप्त किया एवं

आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक-101/2013, धारा-25 (बी) आर्म्स एक्ट कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, उक्त घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया गया तथा अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी) बी सहपठित धारा-4 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-30.07.2013 को करीब 5:25 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम न्यू बिरसा बस स्टेण्ड स्थित साईं रेस्टोरेन्ट के पास जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का धारदार चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

: : विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष : :

5- अनुसंधानकर्ता अधिकारी एम.एल. बिसेन (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.07.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह ग्राम गर्राटोला गश्त करने गया था। उसे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 28-30 वर्ष का एक व्यक्ति जो सामान्य कद-काठी का है, जो संदेहास्पद स्थिति में बिरसा बस स्टेण्ड पर घुम रहा है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वह न्यू बस स्टेण्ड बिरसा पहुंचा और राहगीर राधेश्याम तुरकर, सवितानन्दन जैसवाल को मुखबिर द्वारा दी गई सूचना बताकर उन्हें साथ लेकर साईं रेस्टोरेन्ट की दुकान के पास गया तो उन्हें देखकर संदेहास्पद व्यक्ति भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम डिलेश्वर उर्फ डिलेश कुमार पिता कृष्णशंकर वाकड़े, जाति माना, उम्र-28 वर्ष, ग्राम डोरली का होना बताया। गवाहों के समक्ष उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर में बाईं तरफ न्यूज पेपर से लिपटा एक धारदार चाकू मिला, जिसका लायसेंस पूछने पर आरोपी ने लायसेंस नहीं होना बताया।

6- आरोपी से उपरोक्त चाकू साक्षी राधेश्याम एवं सवितानंदन जैसवाल के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी डिलेश्वर को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर

उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के दिन रवानगी सान्हा क्रमांक-1275 एवं वापसी सान्हा क्रमांक-1295 चालान के साथ संलग्न किया था। थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी-6 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन आरोपी के विरुद्ध लेख की थी। गवाहों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि संपूर्ण विवेचना उसने की है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है उसने जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी के हस्ताक्षर कोरे दस्तावेजों पर लिये थे।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुरेश नागेश्वर (अ.सा.4) ने कहा है कि वह दिनांक-30.07.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-101/13, धारा-25 बी आर्म्स एक्ट की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर साक्षी राधेश्याम, सवितानंदन, अरविंद घोरमारे के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे।

8— राधेश्याम तुरकर (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। जब वह थाना बिरसा अपने कार्य से गया था, तो पुलिस ने उससे कुछ दस्तावेज में हस्ताक्षर करवा लिये थे। उसके सामने आरोपी डिलेश्वर से कोई जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक-30.07.2013 को दिन के 5:00 बजे थाना बिरसा का स्टाफ उसे मिला था और उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति के विषय में उसे बताया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके सामने आरोपी डिलेश्वर से मौके पर चाकू जप्त किया गया था और जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया गया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया उसने प्रदर्श पी-3 का पुलिस कथन पुलिस को लेख कराया था।

9— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सवितानंदन जैसवाल (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानती। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। उसने पुलिस के कहने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 में हस्ताक्षर कर दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि वह सुरक्षा समिति का सदस्य है और पढ़ा-लिखा है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसकी उपस्थिति में प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही की गई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श

पी-4 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है।

10— आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी) बी सहपठित धारा-4 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी एम.एल. बिसेन (अ.सा.3) ने कहा है कि घटना दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर उसने मौके पर जाकर आरोपी को पकड़ा था और उसके पास से निषेधित प्रकृति का चाकू जप्त किया था। मौके पर विवेचक एम.एल. बिसेन (अ.सा.3) द्वारा जप्त किया गया चाकू सील किया गया था या नहीं, इस बात का उल्लेख विवेचक ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं किया है। अभियोजन कहानी अनुसार विवेचक द्वारा कार्यवाही साक्षी राधेश्याम तुरकर (अ.सा.1), सवितानंदन (अ.सा.2) के समक्ष की गई थी। उपरोक्त स्वतंत्र साक्षियों ने विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है और कहा है कि उनके समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी। उनके समक्ष आरोपी से निषेधित प्रकार का चाकू जप्त होने से इंकार किया है। जप्तशुदा चाकू में न्यायालय के समक्ष नहीं बुलाया गया है और न ही उस पर आर्टिकल अंकित कराया गया है। उपरोक्त आधारों पर आरोपी द्वारा आयुध अधिनियम का अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाकर आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी) बी सहपठित धारा-4 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में आरोपी दिनांक-31.07.2013 से दिनांक-16.08.2013 तक, दिनांक-12.05.2015 से दिनांक-08.09.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

12— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक स्टील का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्ट किया जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही/—

बैहर
दिनांक-27.07.2016

(श्रीधर कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, म0प्र0